न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 48/2017

1– गौरधन राम पुत्र ईश्वरराम जाति जाट निवासी सुनारी तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार लाडनूं, तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री महेन्द्र सिंह जानूं व विक्रम कुड़ी अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 2.06.2017 तहसीलदार लाडनूं तहसील लाडनूं जिला नागौर वाद संख्या 2/17 बअनुवान सरकार बनाम गौरधनराम में पारित किया गया।

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक : 05.04.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं0 02/2017 बअनुवान भू अभिलेख निरीक्षक सुनारी बनाम गोरधन राम में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2017 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्रामवासीगण सुनारी के लोगों ने उपखण्ड अधिकारी लाडनूं के समक्ष दिनांक 29.05.2017 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम पंचायत सुनारी में गोदारों की ढाणी का लगभग 100 वर्ष पुराने रास्ते को गोरधनराम बीरड़ा पुत्र ईसरराम के परिवार वालों ने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

मिलकर लोहे का दरवाजा ताला लगाकर बन्द कर दिया । जिससे लगभग 10–15 गोदारों की ढाणीयों का रास्ता बन्द कर दिया जिससे आम जनता का दैनिक कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो गया तथा जब ग्रामवासी रास्ते से जाने की कोशिश करते तो जान से मारने के लिए गोरधन राम का परिवार लोहे के दरवाजे के पास खड़े रहते। ऐसी स्थिति में ग्रामवासी सुनारी ने प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ते को खुनवाने व व भविष्य में ऐसा नहीं करने के लिए उसे पाबन्द करने हेतु निवेदन किया ।

उक्त प्रार्थना पत्र को अति महत्वपूर्ण होने से तहसीलदार लाडनूं ने भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का सुनारी को मौका एवं रिकार्ड की जाचॅ कर मौका रिपोर्ट पेश कर करने हेतु लिखा गया। भू0अ0निरीक्षक भरनावा व पटवारी हल्का सुनारी ने दिनांक 30.05.2017 को रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार दिनांक 30.05.2017 को ग्राम सुनारी में गोदारों की ढाणी के खसरा नम्बर 136 के खातेदार गोरधनराम बीरड़ा पुत्र ईसराराम जाट निवासी सुनारी ने एक लोहे के गेट व दुसरी तरफ पत्थर लगाकर बन्द किया हुआ है तथा शिकायतकर्ता द्वारा आम रास्ता बताया गया है तथा पहले से आवागमन इस रास्ते से करना बताया गया तथा इस खसरे के आगे रास्ता चालु है। खसरा नम्बर 136 में कटाणी रास्ता नहीं है। पूर्व में रास्ता आवागमन हेतु गोदारों की ढाणी तक चालू था। तथा मौका रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा पेश किया।

ग्रामवासियो ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का भी पेश कि मौके पर समझाईश करने पर भी गोरधन राम ने रास्ता खोलने से मना कर दिया तथा इधर से रास्ता नहीं होने का बहाना तथा निवेदन किया कि आगे जाने हेतु सैकड़ो खेतों का रास्ता है। यदि रास्ता तुरन्त नहीं खुलवाया गया तो शांति भंग होने का अंदेशा है तथा कोई अनहोनी घटना घटित हो सकती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

दिनांक 02.6.2017 को ग्राम पंचायत सुनारी ने भी उक्त रास्ता जो पीढीयों से चला आ रहा है को खुलवाने का निवेदन किया है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का भलीभांति अध्ययन करने व मनन करने के उपरान्त यह आदेश दिया कि प्रकरण पुराना कदीमी रास्ता को बन्द करने से ढाणीयों में रहने वालों को काफी परेशानियों का सामना करने से संबधित है। तथा प्रकरण अतिआवश्यक है। प्रकरण में तुरन्त रास्ता नहीं खोलने से कानून व्यवस्था बिगड़ने की भी संभावना है। अतः यह न्यायालय उचित समझता है कि प्रकरण जनहित एवं गम्भीर प्रवृति का होने के कारण मौके से रास्ता खुलवाया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः गोरधनराम पुत्र ईसराराम जाति जाट निवासी सुनारी द्वारा खसरा नम्बर 136 में बंद किये गये रास्ते को तुरन्त प्रभाव से खुलवायें जाने के आदेश दिया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 13.06.17 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 13.06.17 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। । अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/2027/789 दिनांक 22.06.2027 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई।

{3} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{3}(1)–यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को दिनांक 31.5.2017 को दर्ज किया गया और भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर किया गया न कि किसी सम्बन्धित खातेदार के आवेदन पर किया गया जबकि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार उस अवस्था में जब कोई भूमिधारी जो वस्तुतः रास्ते के अधिकार आदि को बाधित किया जाये तब तहसीलदार को इस बाधित भूमि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

धारी के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद जांच करने के पश्चात आज्ञा दे सकता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा कोई भी प्रार्थना पत्र किसी भी भूमिधारी की ओर से पेश ही नहीं हुआ है केवल भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया जो विधि के नियमो के विरूद्ध होने के कारण उक्त आलौच्य निर्णय खारिज होने योग्य है।

{3}(2) –यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण को तलब करने के लिए नोटिस जारी किये गये जो आबाद मकान चस्पा प्राप्त होना बताया गया लेकिन अपीलान्ट को अन्य व्यक्तियो से जानकारी होने पर दिनांक 2.6.2017 को अपने अधिवक्ता के मार्फत पेश हुआ और अधिनस्थ न्यायालय से अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध शिकायत आदि की नकल देने का निवेदन किया गया ताकि अपीलान्ट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र का जवाब दिया जा सके लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/अप्रार्थी को नकल उपलब्ध नही करवाई और अपीलान्ट के अधिवक्ता को आज ही फैसला करने का कहा जिस पर अपीलान्ट/अप्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 2.06.2017 को पेश किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी को जवाब का समुचित अवसर देवे क्योकि आज अपीलान्ट/अप्रार्थी के पास उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई फोटोप्रति वगैरह नहीं है जिससे अपीलान्ट जवाब आदि दे सके इसलिए अपीलान्ट को नकल उपलब्ध करवा कर जवाब के लिए समुचित अवसर दिया जावें। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं ने अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई कागजात उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उपलब्ध नहीं करवाये और न ही जवाब हेतु अवसर अपीलान्ट को दिया गया । इससे भी यह तहसीलदार लाडनूं का अपीलाधीन निर्णय खारीज होने योग्य है।

{3}(3) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट/अप्रार्थी ने दिनांक 2.6.2017 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अपीलान्ट/अप्रार्थी ने कानूनी तथ्य प्रकट किये की न्यायालय के धारा 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अन्तर्गत तहसीलदार को सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं है इस धारा के अधीन प्रथम आवेदन सम्बन्धित ग्राम पंचायत को नहीं कर उपखण्ड लाडनूं को किया गया है जबकि प्रथम आवेदन सम्बन्धित ग्राम पंचायत को करना होता है और सम्बन्धित ग्राम पंचायत को 45 दिन के भीतर प्रकरण का निस्तारण करना होता है 45 की अवधि निकल जाने के बाद तहसीलदार को क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है जिसमें दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद व सुनने के पश्चात अन्तिम निर्णय दिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अपनी क्षैत्राधिकार से बाहर जा कर निर्णय दिया गया जो खारिज होने योग्य है।

{3}(4) – यह है अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में रास्ते की शिकायतकर्ता आदि के विस्तार से वर्णन किया गया है लेकिन अपीलान्ट के द्वारा पेश किये किसी भी प्रार्थना पत्र आदि का वर्णन तक नहीं किया गया है जिससे साफ जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं ने केवल और केवल शिकायतकर्ता व राजनैतिक दबाव में आकर निर्णय दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं में दो व्यक्ति भेरूराम व शिवकरण के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 2.6.2017 को पेश कर प्रकरण को आज ही निस्तारण करवाने का पेश किया जबकि उक्त व्यक्तियो ने कभी भी तहसीलदार लाडनूं व अन्य किसी भी उच्च अधिकारियो को शिकायत नहीं की गई तथा उसने प्रार्थना पत्र में स्वयं के द्वारा खातेदार होने का कथन नहीं किया है केवल बीमार व बच्चो के स्कूल जाने के कथनो का वर्णन कर उक्त प्रकरण का निस्तारण आज ही करने का निवेदन किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय ने उनकी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रकरण को बिना सुने व जवाब का अवसर दिये बिना ही निस्तारण कर रास्ता खुलवाने के आदेश पारित कर दिये गये किसी भी स्वयं द्वारा जांच तक नही की गई और अपीलान्ट से चुनावी रजींश के चलते शिकायत के आधार पर प्रकरण को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरीत जा कर प्रकरण को दर्ज कर निर्णय रास्ता खुलवाने का निर्णय दे दिया जो विधि विपरीत होने से आलौच्य निर्णय खारिज होने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(5) –यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 30.5.2017 के तथ्य को तोड़ मरोड़ कर वर्णन किया गया है जबकि उक्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पता चलता कि मौके पर खसरा नम्बर 136 में किसी प्रकार का कदमी रास्ता नहीं रहा है और न ही है केवल शिकायतकर्ता द्वारा आम रास्ता होना बताया गया व पहले से आवागमन इस रास्ते से करना व चालू होना बताया गया है। यह कही भी नहीं आया है कि कदमी रास्ता भूमिधारियो द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है। मौका रिपोर्ट स्पष्ट रूप से आया है कि अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 136 के एक लोहे का गेट है व दुसरी तरफ पत्थर लगा कर बंद किया हुआ है तथा खेत में बुआई हो रखी है और शिकायतकर्ता के द्वारा आम रास्ता होना बताया है जबकि उक्त मौका रिपोर्ट अपीलान्ट की जानकारी के बिना व अनुपस्थिति में तैयार की गई थी जिस पर शिकायतकर्ताओ के हस्ताक्षर है न की अपीलान्ट के है। जबकि उक्त रिपोर्ट अपीलान्ट को सूचना दे कर अपीलान्ट की मौजूदगी में तैयार करनी चाहिए थी। भू अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में खेत खसरा नंम्बर 136 में लोहे का गेट व फसल बाई होना बताया है लेकिन अपीलान्ट के खातेदारी के खेत के चारो और काफी पुरानी पत्थर की दीवार बनी हुई है और लोहे का गेट अपीलान्ट के द्वारा दीवार का निर्माण करते समय बनाया गया है जो काफी सालो पुराना है और खेत खसरा नम्बर 136 में अपीलान्ट का टयुबेल व मकान आदि बने हुऐ है लेकिन उक्त रिपोर्ट में कही भी कोई वर्णन नहीं किया गया केवल और केवल राजनैतिक दबाव के चलते ही गलत रिपोर्ट पेश की है ताकि अपीलार्थी का पक्का निर्माण गलत व अनुचित प्रकार से तोड़ कर अपीलान्ट के खेत में से नया रास्ता कायम किया जा सके और मौका रिपोर्ट के आधार पर ही प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलार्थी का बिना सुने व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जो अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो खारिज होने योग्य है।

{3}(6) –यह है कि अपीलान्ट का स्वंय का कब्जा सुदा खेत है उक्त सम्पूर्ण खेत के खसरे पर अपीलान्ट काश्त करता आ रहा है किसी प्रकार का कोई रास्ता पूर्व व वर्तमान में नहीं रहा है अपीलान्ट अपने खेत में बनी ढाणी में जाने के लिए सींव सींवं रास्ते का उपयोग करता है उसी रास्ते का उपयोग शिकायतकर्ताओ के द्वारा झुठा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोखामण्डी

करना बता कर नया रास्ता कायम करवाना चाहते है जिस कारण यह शिकायत राजनैतिक व आपसी दुश्मनी निकालने के उद्देश्य से की गयी है। उक्त रास्ते के सम्बन्ध में एक शिकायत भू अभिलेख निरीखक के द्वारा रिपोर्ट पेश करना बताया है लेकिन धारा 251 राजस्थान काश्कारी अधिनियम अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र व्यथित भूमिधारी के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी प्रार्थना भूमिधारी की ओर से तहसीलदार लाडनूं के समक्ष पेश नहीं किया गया जिस कारण निर्णय अधिनियम के नियमों के विपरीत होने से निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है जो इस आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(8) – यह है कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कभी कोई जानकारी नहीं रही है एवम दिनांक 27.05.2019 को आर.आई. द्वारा मौखिक रूप से कहने पर निर्णय की जानकारी हुई, जिससे न्यायालय से दिनांक 27.05.2019 को नकल निर्णय प्राप्त करने पर सम्पूर्ण तथ्यों का ज्ञान हुआ, जिससे उक्त अपील अन्दर मयाद है एवम डिले कन्डोन के लिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

अपील अपीलान्ट ने बहस के दौरान निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 05/2019 बअनुवान सरकार जरिये पटवारी हल्का सुनारी बनाम किशनी देवी में निर्णय दिनांक 29.04.2019 खारीज किया जाकर उक्त अपील को स्वीकार किया जावें।

{4} – अपील न्यायालय तहसीलदार लाडनूं के प्र0सं0 02/17 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित निर्णय दिनांक 02.6.2017 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में 13.6.2017 को अपीलान्ट द्वारा पेश की गयी है जो अन्दर मियाद है।

{5} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। तहसीलदार लाडनूं के समक्ष ग्राम सुनारी के लोगों ने प्रार्थना पत्र पेश कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

रास्ता खुलवाने की मांग की गयी। जिस पर तहसीलदार लाडनूं ने भू0अ0नि0 भरनावा से जांच करायी एवं प्रकरण धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्थान सरकार जरिये भू0अ0नि0 भरनावां बनाम गोरधन राम पुत्र ईसरराम जाति जाट निवासी सुनारी दिनांक 31.05.2017 को दर्ज किया । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के अन्तर्गत "उस दशा में जब कोई भूमिधारी (any holder of land) जो वस्तुतः रास्ते के अधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार का उपभोग कर रहा हो , अपने उक्त अपभोग में बिना उसकी सहमति के , विधि विहित प्रणाली से भिन्न तरीके से, बाधित किया जाए, तहसीलदार उक्त रूपेन बाधित भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर तथा उक्त उपभोग एवं बाधा के विषय में सरसरी जांच करने के पश्चात बाधा को हटाये जाने की अथवा बन्द किये जाने की और प्रार्थी भूमिधारी को पुनः उक्त उपभोग करने की आज्ञा कर सकेगा चाहे उक्त रूपेन पुनः उपयोग किये जाने के विरूद्ध तहसीलदार के समक्ष अन्य कोई हक स्थापित किया जाय।"

इस प्रकार प्रकरण में किसी भी भूमिधारी ने प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है एवं ग्राम सुनारी के कुछ लोगों के प्रार्थना पत्र को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य भी आम रास्ते के सम्बन्ध में अंकित है। जबकि धारा 251 में केवल कोई भूमिधारी ही अपनी कृषि भूमि में उसके अधिकार में बाधा उत्पन्न होने पर प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है जबकि इस प्रकरण में प्रार्थी ही भू0अ0नि0 भरनावां को बनाया गया है।

पत्रावली पर थानाधिकारी पुलिस थाना लाडनूं की ओर से उपखण्ड मजिस्ट्रेट लाडनूं को पेश ईस्तगाशा क्रमांक 3001/44 दिनांक 29.5.2017 को फोटो प्रति का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष के खेत के दरवाजा लगाकर बन्द करना बताया गया परन्तु उक्त दरवाजा पुराना लगा हुआ है। वर्तमान में निर्माण किया हुआ नजर नहीं आ रहा है। खेत बोया हुआ है तथा फुआरा से पिलाया हुआ है जिसमें रास्ता निकालेने का प्रयास किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

रास्ते के ताजा बन्द किये हुए के कोई अलामात निरीक्षण में नहीं पाए गए। प्रथम पक्ष द्वारा बताये अनुसार कथित खेत के बीच में 100 वर्ष पुराना रास्ता है परन्तु मौके पर बुआई की हुई है जिससे यह अनुमान लगाया जाना सम्भव नहीं है कि इतना पुराना रास्ता यहां रहा हो।

वकील अपीलान्ट द्वारा पेश फोटो प्रति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जिसमें अपीलान्ट के खेत ख0नं0 136 में से रास्ता लेने हेतु पेश किया गया है।

तहसीलदार लाडनूं द्वारा हस्तगत प्रकरण 31.5.2017 को दर्ज कर दिनांक : 2.6.2017 को उसका निर्णय ही कर दिया गया है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है।

:::: **आदेश** ::::

अतः उक्त विवेचन के आधार अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 02.06.2017 को खारिज किया जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)